

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०- 46/2017-18/1470(वि)/मत्स्य, राँची, दिनांक 28/07/2021

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, भा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

*अनौपचारिक रूप द्वारा:-
से परामर्शित

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

विषय-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय के तहत वेद व्यास आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल म० 12.00 लाख (बारह लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "वेद व्यास आवास" एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत मछुआरों के लिए कुल 10 पक्का आवास का निर्माण कराया जाएगा।

2. इस योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल स्वीकृत बजट उपबंध म० 12.00 लाख (बारह लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि म० 12.00 लाख (बारह लाख) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

(राशि लाख रू० में)

क०	मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-69-वेद व्यास आवास योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050010169010545	4.80	4.80
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-69-वेद व्यास आवास योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050078969010545	2.40	2.40
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-69-वेद व्यास आवास योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050079669010545	4.80	4.80
	कुल	12.00	12.00

(कुल म० बारह लाख रू० मात्र)

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक मत्स्य, झारखण्ड राँची/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बोकारो तथा दुमका होंगे, जो कांडिका-11 में दर्शाये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।





5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य एवं सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

6. (क) यह एक राज्य योजना है।

(ख) योजना के कार्यान्वयन में आवास का निर्माण क्लस्टर में किया जाना है, अतः यथासंभव पूर्व में सृजित क्लस्टर के छूटे हुए लाभुकों को इस योजना से आच्छादित किया जायेगा।

7. लाभुकों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा क्लस्टर में किया जाएगा। चयन समिति में संबंधित जिले के माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे।

8. इस योजना में लाभुक चयन निम्न प्रकार से किया जाना है:

कृषि प्रभाग द्वारा अधिष्ठापित सिंगल विन्डो के माध्यम से प्राप्त आवेदनों अथवा आवश्यकता अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से लाभुकों का चयन किया जायेगा।

i. सक्रिय अथवा परम्परागत मत्स्य पालक/मछुआ जो मत्स्य उत्पादन/मत्स्य बीज उत्पादन/प्राकृतिक जल संसाधनों में मछली पकड़ने/मत्स्य बिक्री में सक्रिय हों।

ii. प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे कच्चे मिट्टी से बने अथवा फूस के मकान में रहने वाले मछुआ/मत्स्य पालक को दी जायेगी।

iii. घर हेतु जमीन उपलब्ध रहने तथा कच्चा घर वाले मछुआओं को भी कंडिका (i) एवं (ii) के अतिरिक्त लाभान्वित किया जा सकता है। एक परिवार में एक आवास देय है। आवश्यकतानुसार पति-पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृति दी जायेगी।

iv. प्रक्रियानुसार आवेदक दिव्यांगों हेतु स्वीकृत राशि का न्यूनतम 3 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि का प्रावधान जिलावार किया जायेगा।

v. ऐसे लाभुकों को दोबारा लाभ नहीं दिया जायेगा, जो पूर्व संचालित विभागीय मछुआ आवास योजना अथवा इन्दिरा आवास या समतुल्य केन्द्र/राज्य सरकार की आवास योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में एक लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो। लाभुकों की अर्हता की जाँच स्वयं संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी निर्धारित मापदण्ड पर करेंगे।

9. इस योजना के तहत चयनित लाभुकों का Geo Tagging कराना सुनिश्चित किया जाए।

10. (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (इंदिरा आवास) के मानक प्राक्कलन के आधार पर आवास निर्माण का कार्य लाभुकों के द्वारा स्वयं कराया जाएगा। लाभुक आवश्यकता अनुसार छत ढलवां अथवा समतल रख सकते हैं। आवास निर्माण हेतु अधिकतम प्रति लाभुक मो0 1,20,000/-रु0 की आर्थिक सहायता होगी। पक्का आवासों का निर्माण मछुआओं की निजी जमीन पर कराया जाएगा। इसके लिए एकाउन्ट स्थानान्तरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभुक मछुआओं के बैंक खाते में राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) सक्षम प्राधिकार से चयनित लाभुकों के लिए बैंक से राशि की निकासी हेतु जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा विमुक्ति का आदेश निम्न रूप से कार्य की प्रगति के अनुसार किया जायेगा :

(i) प्लिंथ स्तर (20%)

(ii) छत स्तर (15%)

(iii) छत ढलाई/निर्माण (40%) (iv) फिनिशिंग हेतु राशि दी जायेगी (25%)

11. शीर्षवार जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय-उप शीर्ष-69-वेद व्यास आवास योजना अंतर्गत लघु शीर्ष एवं जिलावार भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)

क्र०	जिला का नाम	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य		लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य		लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य		कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बोकारो	4	4.80	2	2.40	0	0.00	6	7.20
2	दुमका	0	0.00	0	0.00	4	4.80	4	4.80
योग :		4	4.80	2	2.40	4	4.80	10	12.00

12. योजना स्थल का चयन, योजना की Feasibility एवं सफलता का दायित्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा।

13. लाभुकों के चयन के पूर्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक स्थल की जांच तथा लाभुकों के आवेदन में वर्णित तथ्यों की छानबीन कर संतुष्ट हो लेंगे। लाभुक की सूची/उसके फोटोग्राफ/स्थायी पता/खाता-खेसरा जिस पर आवास निर्माण हो रहा है उसका ब्यौरा पंजी में संधारित करेंगे। Ground reality से मेल नहीं पाने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी दोषी होंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से सम्पर्क कर स्वच्छता हेतु शौचालय निर्माण का प्रयास करेंगे।

लाभान्वितों के संबंध में प्रत्येक जिला मत्स्य कार्यालय में फोल्डर संधारित कर रखे जायेंगे, जिनमें उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधा से उनकी दशा में आये सुधार का वर्णन रहेगा। योजना के लाभुक का नाम, ब्यौरा, पूर्व, वर्तमान आवास का फोटो, अभिलेख अपने कार्यालय में संधारित करेंगे तथा जिला Web site पर भी डालेंगे।

14. वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह योजना स्वीकृत नहीं की गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत इस योजना में कुल 2520.00 लाख रु० मात्र में से सभी जिलों से प्राप्त प्रत्यार्पण प्रतिवेदन के आधार पर मो० 2382.00 लाख रु० मात्र का व्यय प्रतिवेदित है।

15. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561 दिनांक 17-04-98 तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

16. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक सी०एस०२/आर०-०१/२००५-३०१ दिनांक ११.०३.२०१५ के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

37

107

17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त है

:-

I व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत हो।

II किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो।

III स्वीकृत्यादेश प्रारूप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का अक्षरशः सुदृढतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18. स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात् विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

14रा० (वि०)

ज्ञापांक

मत्स्य / राँची, दिनांक

28/07/2021

(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14रा० (वि०)

ज्ञापांक

मत्स्य / राँची, दिनांक

28/07/2021

सरकार के सचिव

प्रतिलिपि : जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) / जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी) / उप मत्स्य निदेशक, (सभी) / संयुक्त मत्स्य निदेशक / निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14रा० (वि०)

ज्ञापांक

मत्स्य / राँची, दिनांक

28/07/2021

सरकार के सचिव

प्रतिलिपि : योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा एवं योजना शाखा) झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव